पत्रांक–08 / लो०से०अ०–02–16 / 2013,सा०प्र०...19619/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक– 27.12.13

विषयः– **पटना अनुभाजन क्षेत्र के लिए नये राशन कार्ड निर्गत करने हेतु नामनिर्दिष्ट लोक सेवक में संशोधन करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचित सेवा **''नये राशन कार्ड के आवेदन पर निर्णय''** हेतु पटना अनुभाजन क्षेत्र के लिए अधिसूचित नामनिर्दिष्ट लोक सेवक में निम्नरूपेण संशोधन किया गया हैः–

सेवा का नाम	पूर्व से अधिसूचित नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	संशोधित नामनिर्दिष्ट लोक सेवक
नये राशन कार्ड के आवेदन पर निर्णय	अनुमण्डल पदाधिकारी	(क) अनुमण्डल पदाधिकारी (पटना अनुभाजन क्षेत्र को छोड़कर) (ख) विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना (केवल पटना अनुभाजन क्षेत्र के लिए)

2. उक्त संशोधन के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु 'अधिकार' साफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किए गए है, जिसे शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।
3. संशोधन के अनुरूप जानकारी हेतु संबंधित कार्यालय में सूचना पट्ट का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाए।

कृपया उपरोक्त से सभी सम्बन्धित अधीनस्थ पदाधिकारियों / कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन

(डॉ.धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 08 / लो०से०अ०–02–16 / 2013,सा०प्र०...19619... **/ दिनांक**...27.12.13...

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं पटना, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।